नगर कोतवाली की पुलिस ने साइबर ठगी के पैसों की हेराफेरी को किराए पर देता था बैंक खाता, दो आरोपी गिरफ्तार किए गए

बैंक खातों के धंधेबाजों के गिरोह का भंडाफोड़

खुलासा

बलरामपुर, संवाददाता। साइबर ठगी के पैसों की हेराफेरी के लिए बैंक खातों को किराए पर देने वाले गिरोह का कोतवाली नगर पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने म्यूल अकाउंट के जरिए ठगी की रकम मंगाने और उसे दूसरे खातों में ट्रांसफर करने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी 25 से 30 प्रतिशत कमीशन के लालच में अपने और परिचितों के नाम से खुलवाए गए बैंक खातों की पासबुक, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड मुख्य सरगना को सौंप देते थे। इन खातों में साइबर ठगी की रकम मंगाई जाती थी। इसके बाद यूपीआई के माध्यम से रकम निकालकर या दूसरे खातों में भेज दी जाती थी।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विजय कुमार सोनकर व राहुल गोस्वामी निवासी जातिया/शालेपुर बलरामपुर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों अजय सिंह नाम के मुख्य सरगना के संपर्क में थे। पुलिस ने आरोपियों की तलाशी और निशानदेही पर टेक्नो व रेडमी कंपनी के मोबाइल फोन, चालू सिम कार्ड, विभिन्न बैंकों की पासबुक, डेबिट कार्ड और नकदी बरामद की है। बरामद दस्तावेजों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के खाते शामिल हैं।

कोतवाली नगर में बुधवार को गिरफ्तार साइबर ठगी के आरोपी।

हर एक हजार रुपये के लेनदेन पर मिलता था 250 से 300 रुपये कमीशन: पुलिस जांच के अनुसार गिरोह का मुख्य सरगना अजय सिंह आरोपियों को अवैध लेनदेन के बदले कमीशन देता था। आरोपियों को हर एक हजार रुपये के लेनदेन पर 25 से 30 प्रतिशत तक कमीशन मिलता था। इसी लालच में आरोपी अपने व परिचितों के नाम से बैंक खाते खुलवाते थे। इसके बाद खातों की पासबुक, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड सरगना को उपलब्ध करा देते थे। पुलिस के अनुसार, साइबर अपराधियों द्वारा ठगी गई रकम इन खातों में मंगाई जाती थी। रकम पहुंचने के बाद गूगल पे, फोनपे और पेटीएम जैसे यूपीआई माध्यमों से उसे निकालने या दूसरे खातों में ट्रांसफर करने का काम किया जाता था। इस तरह ठगी की रकम को कई खातों के जरिए आगे बढ़ाया जाता था, जिससे उसके वास्तविक स्रोत तक पहुंचना मुश्किल हो सके।

साइबर ठगी में 14,650 रुपये की रकम का उल्लेख: कोतवाली नगर पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि साइबर क्राइम मुख्यालय से मिली सूचना के आधार पर की गई जांच में यूनियन बैंक के खाते से जुड़ी दो शिकायतें सामने आईं। इनमें एक शिकायत में 12,500 रुपये और दूसरी में 2,150 रुपये की ठगी का उल्लेख है। इस तरह दोनों शिकायतों में कुल 14,650 रुपये की ठगी की रकम सामने आई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 690 रुपये नकद, दो मोबाइल फोन, तीन सिम, एक अतिरिक्त सिम, पासबुक और दो एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। जांच में अभी और भी खुलासे होने की संभावना है।

तीन बैंकों के खातों से जुड़े दस्तावेज मिले

पुलिस ने आरोपियों के पास से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया की कई पासबुक व डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। बरामद दस्तावेजों में अलग-अलग नामों से जुड़े बैंक खाते शामिल हैं। पुलिस इन खातों में हुए लेनदेन और लाभार्थियों की भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, बरामद मोबाइल फोन व सिम कार्ड भी जांच का हिस्सा हैं। इनके जरिए किन लोगों से संपर्क किया गया, किन खातों में रकम भेजी गई, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।

- 25 से 30% कमीशन का लालच, तीन बैंकों के खाते जांच के घेरे में गिरफ्तार: विजय कुमार सोनकर और राहुल गोस्वामी
- मुख्य सरगना: अजय सिंह की तलाश जारी
- कमीशन: हर एक हजार रुपये के अवैध लेनदेन पर 250 से 300 रुपये
- खातों का इस्तेमाल: यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया
- बरामदगी: पासबुक, डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और नकदी
- लेनदेन का तरीका: गूगल पे, फोनपे और पेटीएम के जरिए रकम निकालना या ट्रांसफर करना
- कार्रवाई: बीएनएस की धाराओं और आईटी एक्ट की धारा में केस दर्ज
- पुलिस की अपील: बैंक खाता, पासबुक, एटीएम या सिम कार्ड किसी को न दें

बीएनएस और आईटी एक्ट में केस, सरगना की तलाश

प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस की टीमें फरार मुख्य सरगना अजय सिंह और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हैं।

“ साइबर ठगी के मामलों में बैंक खातों के दुरुपयोग की जांच की जा रही है। साथ ही आम जनता से अपील की जा रही है कि कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता, पासबुक, एटीएम कार्ड या सिम कार्ड किसी को न दें। बैंक खाता किराए पर देना या साइबर ठगी की रकम मंगाना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है। साइबर ठगी के मामलों में ऐसे बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके जरिए रकम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है।

-मार्तंड प्रकाश सिंह, पुलिस अधीक्षक बलरामपुर